निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS)देवगढ़

केम्प ताल

प्र.सं 32/2017 प्रा. पत्र **निर्णय दिनांक 24.05.2018**

अनवान

1. श्री जयसिंह पिता प्रताप भाट नि. कालागुन तह.देवगढ़ जि.राजसमंद

.........प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार तह.देवगढ़ जि राजसमंद

.........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प ताल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। पक्षकारान उपस्थित हुऐ। अपीलाण्ट की अपील का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ए रा.टी. एक्ट के तहत पेशकर निवेदन किया कि ग्राम कालागुन प.ह. ताल तहसील देवगढ़ मे आराजी नं. 129, 242, 256, 258, 1023 किता 5 रकबा 5.08 बिघा भूमि स्थित हैं। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि में निरन्तर व निर्बाध रूप से बेरोक टोक काबिज होकर उपयोग व उपभोग कर रहा हैं लेकिन भूमि का प्रार्थी के पिता प्रताप के नाम दर्ज थी किन्तु विरासत से खाता खुलते समय प्रताप के पुत्र के रूप में प्रार्थी का नाम केशरसिंह पिता प्रताप अंकित कर दिया जो गलत है जबकि प्रताप के एक पुत्र नरसिंह व दूसरा पुत्र प्रार्थी जयसिंह हैं। प्रमाण के पहचान दस्तावेज पेश किये गये हैं। उक्त भूमि का गलत इन्द्राज हो जाने से प्रार्थी को भूमि का विक्रय करने व ऋण वगेरा लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा रहा हैं। इसलिये प्रार्थी गलत नाम में काफी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिये प्रार्थी गलत नाम अंकित हैं उसे दुरूस्त कराया जाकर सही नाम जयसिंह पिता प्रताप कराने के आदेश प्रदान करावें। ग्राम कालागुन प.ह. ताल तहसील देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं0 2068 से 2071 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं।

प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को सम्मन जारी किया गया तथा प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प ताल में नियत कर पुनः सम्मन जारी किया गया। प्रत्युतर में विपक्षी ने कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रा.पत्र व पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी का नाम भूलवश जयसिंह की बजाय केसरसिंह अंकित हो गया हैं। प्रार्थी द्वारा पेश भारत निर्वाचन द्वारा जारी कार्ड आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम जयसिंह हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम कालागुन प.ह. ताल तहसील देवगढ़ मे आराजी नं. 129, 242, 256, 258, 1023 किता 5 रकबा 5.08 बिघा भूमि में मिस्टेक से इन्द्राज गलत नाम केशरसिंह पिता प्रताप को दूरस्त किया जाकर सही नाम जयसिंह पिता

प्रताप भाट अंकित करने के आदेश प्रदान दिये जाता हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प ताल में मस्मे आम फैसल सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद